संख्या-10/2020/332/71-1-2020-जी-13/2016

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 फरवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मेडिकल कालेज, कन्नौज के माइक्रोबायलोजी विभाग में प्रीफैब्रीकेटेड बायोसेफ्टी लेब्रोट्री क्लास (बी0एस0एल0-3) लगाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मेडिकल कालेज, कन्नौज के माइक्रोबायलोजी विभाग में प्रीफैब्रीकेटेड बायोसेफ्टी लेब्रोट्री क्लास (बी0एस0एल0-3) लगाने हेतु रू0 488.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-46/2016/831/71-1-2016-जी-13/2016, दिनॉक 17-03-2016 द्वारा प्रदान की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-3/2017/3242/71-1-2016-जी-13/2016, दिनॉक 04-01-2017 द्वारा तथा रू0 50.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-134/2018/1580/71-1-2018-जी-13/2016, दिनॉक 16-05-2018 द्वारा रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल रू0 300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है।

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/664, दिनॉक 05-02-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, कन्नौज के माइक्रोबायलोजी विभाग में प्रीफैब्रीकेटेड बायोसेफ्टी लेब्रोट्री क्लास (बी0एस0एल0-3) लगाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000/- के सापेक्ष रू0 1,88,47,000/- (रू0 एक करोड़ अट्ठासी लाख सैतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-56-राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-10/2020/332(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
6- निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।